

अल्पकालीन निविदा सूचना

निगम मुख्यालय के पत्रांक:-1118रोपी/17-117एफए/01-11 ठेकों की नीति दिनांक-02.05.2017, पत्रांक 2985 दिनांक 18.10.2017 एवं पत्रांक 129प्र0प्र0(वा0एवं वि0)/कैम्प/2018कैन्टीन/पीपीपी दिनांक 30.08.2018 के अनुपालन में उ0प्र0परिवहन निगम, मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर रिक्त पड़े/निकट भविष्य में रिक्त होने वाले ठेकों के आवंटन की कार्यवाही निम्नप्रकार होगी। सभी ठेको का आवंटन अस्थायी रूप से अल्पकाल अवधि (छः माह) के लिये किया जायेगा, इस हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय मेरठ में रूपये 224 (रू0 200/-टैण्डर फीस एवं रू0 24 जीएसटी) जमा कराकर टैण्डर फार्म इस कार्यालय से कार्यालय दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। टैण्डर फीस रिफण्डेबल नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार आगामी अवधि के लिये ठेके का विस्तार किया जा सकता है।

1. टैण्डर प्राप्त करने का दिनांक 01.08.2019 तक किसी भी कार्यालय दिवस में।
2. टैण्डर जमा करने का दिनांक 02.08.2019 समय 14:00 बजे तक।
3. टैण्डर खोले जाने का दिनांक 02.08.2019 समय 15:00 बजे।

निविदा हेतु प्रस्तावित ठेके

क्रम सं०	बस स्टेशन का नाम	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रूपये प्रतिमाह (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)
1.	सोहराब गेट डिपो	रेवडी, गजक व नानखताई स्टॉल	11000.00
2.	सोहराब गेट डिपो	जलपान गृह	1,22,000.00
3.	भैसाली डिपो	रेवडी, गजक व नानखताई स्टॉल	3000.00
4.	भैसाली डिपो	मोबाईल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स शॉप	8000.00
5.	भैसाली डिपो	काफी कार्नर/टी स्टॉल	8000.00
6.	भैसाली डिपो	जनरल मर्चेन्ट	15,000

मेरठ क्षेत्र के भैसाली एवं सोहराब गेट बस स्टेशन पी0पी0पी0 मॉडल पर निर्मित होने हेतु प्रस्तावित होने के कारण किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

भैसाली बस स्टेशन रेपिड रेल परियोजना के अन्तर्गत भी प्रस्तावित होने के कारण किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में दिनांक 15.02.2019 को हुई बैठक में मौखिक रूप से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त ठेके अस्थायी रूप से अल्पकाल अवधि के लिये आवंटित किये जा रहे हैं।

टैण्डरदाता को टैण्डर फार्म के साथ जमानत राशि के रूप में प्रतिमाह की दर से ऑफर की गयी धनराशि के तीन गुना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0-10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट **REGIONAL MANAGER UPSRTC MEERUT** के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित राशि के बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने पर टैण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं चरित्र प्रमाण पत्र उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक निविदा दाता अपना टैण्डर भरकर टैण्डर बॉक्स में दिनांक 02.08.2019 समय 14:00 बजे तक इस कार्यालय के टैण्डर बॉक्स में जमा कर सकते हैं। टैण्डर सील बन्द लिफाफे में बन्द कर टैण्डर बॉक्स में डाला जायेगा तथा लिफाफे के ऊपर जिस स्टाल हेतु टैण्डर डाला जा रहा है, का नाम अंकित अवश्य किया जाये। प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन प्रस्तावकों की उपस्थिति में सायं-15:00 बजे लिफाफों को खोलकर क्षेत्रीय समिति के द्वारा विचार किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित निविदा दाता को आफर की गयी धनराशि एवं उसपर देय जी0एस0टी0 सहित विद्युत व्यय के साथ प्रत्येक माह निगम कोष में जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा दाता का नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। यह ठेका नियमावली-2009 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेंगे तथा स्टॉल किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा।

किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बतायें सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। परिवहन निगम स्टॉल नियमावली-2009 में उल्लिखित समस्त उपबन्ध एवं शर्तें उक्त ठेके पर लागू होंगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य एवं विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता (पश्चिम), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर लोडिंग हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, मेरठ/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), मेरठ।
7. स0क्ष0प्र0/स्टे0 अधीक्षक/कार्यशाला प्रभारी/नोटिस बोर्ड (प्रत्येक इकाई हेतु), उ0प्र0परि0 निगम, मेरठ/सो0गेट/गड/बडौत/भैसाली।
8. tender@upsrtc.com
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ।